

मैसर्स एम. एस. शॉज़ ईस्ट लिमिटेड

बनाम

द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, आईसीडी, नई दिल्ली

अप्रैल 4, 2007

[एस.बी.सिन्हा और मार्कडी काटजू, जे. जे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962; एसएस.2(4), 2(23), 2(26), 14, 15 व 46: मूल्यांकन-कार का आयात-मूल्यांकन चाहे आयात/प्रवेश बिल की प्रस्तुति के समय घोषित कार की कीमत पर आधारित हो या प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन की तारीख पर आधारित हो: अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, आयातित वस्तुओं का मूल्यांकन प्रवेश का बिल प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए-न्यायाधिकरण का यह मानना सही था कि आयात के बाद के मूल्यहास को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है और अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन से पहले और प्रवेश पत्र दाखिल करने के बाद का समय बीतना अप्रासंगिक है, हालांकि, निर्धारिती कार के लिए मंजूरी देने में देरी के लिए राजस्व के खिलाफ नुकसान के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

इस अपील में निर्धारण के लिए जो प्रश्न उठा था, वह था - क्या 1996 में अपीलार्थी द्वारा आयातित 1993 मॉडल रोल्स रॉयस कार के आकलन योग्य मूल्य का आकलन कार के प्रवेश के बिल में घोषित मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए जैसा कि निर्धारिती द्वारा 31.8.1996 पर सीमा शुल्क अवरोध पर दायर किया गया है या क्या आयात के बाद की अवधि के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य से कार पर मूल्यहास की अनुमति दी जानी चाहिए।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

1. अधिकरण का मानना सही था कि आयात के बाद मूल्यहास को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि कार के प्रवेश का बिल 1996 में प्रस्तुत किया गया था, मंजूरी 28.3.1005 को दी गई थी। [पैरा 3] [793-बी]

मैसर्स शाह देवचंद एंड कंपनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर(1991) एस.सी. 1931 पर भरोसा किया।

2.1 . आयात की तारीख से कार को मुक्त करने में अधिकारियों की ओर से नौ साल की देरी का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आयात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के तहत मूल्य निर्धारित किया जाना है, जिसकी तारीख 31.8.1996 है।

इसलिए, अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि लेनदेन का मूल्य अपीलकर्ता द्वारा 31.8.1996 को घोषित किया जाना था, और अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन से पहले और बिल ऑफ एंड्री दायर करने के बाद समय व्यतीत होना अप्रासंगिक है। [पैरा 4] [793-सी]

भारत सर्फैक्टेंट्स प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1989] 3 एससीआर 367; मैसर्स शाह देवचंद एंड कंपनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य और सीमा शुल्क आयुक्त, कोलकाता बनाम जे. के. निगम, (2007) 2 स्केल 459 पर भरोसा किया।

2.2 . अपीलकर्ता के लिए यह खुला है कि वह क्षति के लिए मुकदमा दायर कर सकता है या कार के लिए मंजूरी देने में देरी के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ अन्य उपाय ढूंढ सकता है। [पैरा 9] [796-सी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2006 की सिविल अपील सं. 4426

अपील संख्या सीयूएस./895/2004 में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अंतिम आदेश संख्या 158/2006-सीयूएस. दिनांक 24.05.2006 से।

जे. एस. सिन्हा, ब्रज किशोर मिश्रा, अपर्णा झा, अभिषेक यादव और विक्रम - अपीलार्थी की ओर से ।

उत्तरदाता की ओर से - ए. सुब्बा राव और बी. के. प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

मार्कडेय काटजू, जे.

1. यह अपील अपील संख्या सीयूएस/895/2004 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में निर्णय और आदेश संख्या 158/06-सीयूएस दिनांक 24.5.2006 के विरुद्ध निर्देशित की गई है।

2. इस मामले में विवाद अपीलकर्ता द्वारा 1996 में आयातित 1993 मॉडल रोल्स रॉयस कार के मूल्यांकन योग्य मूल्य के बारे में है। अपीलकर्ता द्वारा कार के प्रवेश का बिल 31.8.1996 को सीमा शुल्क बैरियर पर दायर किया गया था। विवाद इस सवाल को लेकर है कि क्या आयात के बाद की अवधि के लिए मूल्यांकन के उद्देश्य से कार पर मूल्यहास की अनुमति दी जानी चाहिए।

3. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के तहत (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में जाना जाएगा), गाड़ी का मूल्यांकन माल के आयात के समय की कीमत पर आधारित होना चाहिए। अधिनियम की धारा 15 यह स्पष्ट करती है कि शुल्क की दर और प्रशुल्क मूल्यांकन उस

तारीख पर निर्धारित किया जाना चाहिए जिस दिन ऐसे सामानों के संबंध में प्रवेश बिल प्रस्तुत किया जाता है।

इसलिए अधिनियम की धारा 46 के तहत, हमारी राय में, न्यायाधिकरण का यह कहना सही था कि आयात के बाद के मूल्यहास को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि कार का प्रवेश का बिल 1996 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन मंजूरी 28.3.2005 पर दी गई थी।

4. अपीलकर्ता का यह कथन कि आयात की तारीख से कार को जारी करने में नौ साल की देरी हुई, हमारी राय में कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि आयात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 के तहत मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, जो तारीख 31.8.1996 है। इसलिए हमारी राय में, न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि लेन-देन मूल्य अपीलार्थी द्वारा 31.8.1996 पर घोषित किया जाना था, और अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन से पहले और प्रवेश बिल दाखिल करने के बाद समय व्यतीत होना अप्रासंगिक है।

5. भारत सर्फैक्टेंट्स प्रा. लि. लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, [1989]3 एस.सी.आर.367, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि आयातित वस्तुओं पर लागू शुल्क और

प्रशुल्क मूल्यांकन की दर खंड (क) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 15 (1) द्वारा नियंत्रित होती है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के तहत घरेलू उपभोग के लिए दर्ज किए गए माल के मामले में, यह वह तारीख है जिस पर उस धारा के तहत माल के संबंध में प्रवेश बिल प्रस्तुत किया जाता है जो प्रासंगिक है।

6. इस संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"2. परिभाषाएँ:

(4) "प्रविष्टि बिल" का अर्थ धारा 46 में निर्दिष्ट प्रविष्टि बिल है;

(23) "आयात", अपनी व्याकरणिक विविधताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, का अर्थ है भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना;

(26) "आयातक", किसी भी सामान के संबंध में उनके आयात और उस समय के बीच किसी भी समय जब उन्हें घरेलू उपभोग के लिए मंजूरी दे दी जाती है, इसमें कोई भी मालिक या खुद को आयातक के रूप में रखने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होता है;

(40) किसी भी सामान के संबंध में "प्रशुल्क मूल्य" का अर्थ धारा 14 की उपधारा (2) के तहत उसके संबंध में निर्धारित प्रशुल्क मूल्य है;

(41) किसी भी सामान के संबंध में "मूल्य" का अर्थ है [धारा 14 की उपधारा (1)] के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित उसका मूल्य ;

14. मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल का मूल्यांकन।- (1) सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51), या उस समय लागू किसी भी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए, जिसके तहत किसी भी सामान पर उनके मूल्य के संदर्भ में सीमा शुल्क लगाया जाता है, ऐसे सामान का मूल्य यह वह कीमत मानी जाएगी जिस पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान, जैसा भी मामला हो, आयात या निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए ऐसे या उसके जैसे सामान को आम तौर पर बेचा जाता है, या बिक्री के लिए पेश किया जाता है, जहां-

(क) विक्रेता और खरीदार को एक-दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है; या

(ख) उनमें से एक को दूसरे के व्यवसाय में कोई दिलचस्पी नहीं है, और कीमत बिक्री या बिक्री की पेशकश के लिए एकमात्र विचार है:

बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी जिस दिन धारा 46 के तहत प्रविष्टि का बिल प्रस्तुत किया जाता है, या शिपिंग बिल या निर्यात बिल, जैसा भी मामला हो, धारा 50 के तहत प्रस्तुत किया जाता है;

(1 ए) उपधारा (1) के प्रावधानों के अधीन, आयातित वस्तुओं के संबंध में उस उपधारा में निर्दिष्ट कीमत इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) या उप-धारा (1 ए) में किसी भी बात के बावजूद, यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी के लिए प्रशुल्क मूल्य तय कर सकता है। आयातित वस्तुओं या निर्यात वस्तुओं की श्रेणी, ऐसे या समान वस्तुओं के मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए,

और जहां ऐसे कोई प्रशुल्क मूल्य तय किए गए हैं, शुल्क ऐसे प्रशुल्क मूल्य के संदर्भ में लगाया जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(ए) "विनिमय की दर" का अर्थ है विनिमय की दर-

(i) बोर्ड द्वारा निर्धारित, या

(ii) इस तरह से सुनिश्चित किया जाए जैसा बोर्ड निर्देशित करे, भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में या विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदलने के लिए;

(बी) "विदेशी मुद्रा" और "भारतीय मुद्रा" का वही अर्थ है जो उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 2 के खंड (एम) और खंड (क्यू) में दिया गया है।'

15. आयातित वस्तुओं पर शुल्क की दर और प्रशुल्क मूल्यांकन के निर्धारण की तिथि:

(1) आवेदन की दर और दर आकलन, यदि कोई हो, किसी भी आयातित वस्तु के लिये किसी भी तरह से लागू दर और आकलन होगा, -

(क) धारा 46 के तहत घरेलू उपभोक्ता के लिए दर्ज किए गए माल के मामले में, उस तारीख को उस धारा के तहत उस माल के संबंध में प्रवेश का बिल प्रस्तुत किया जाता है;

(ख) धारा 68 के तहत गोदाम से हटाए गए माल के मामले में, उस तारीख को जिस पर से माल के संबंध में घरेलू उपभोक्ता के लिए प्रवेश का बिल उस धारा के तहत प्रस्तुत किया जाता है;

(ग) किसी भी अन्य सामान के मामले में, शुल्क के भुगतान की तारीख काे बशर्ते कि यदि जहाज के प्रवेश का बिल जहाज के अंदर प्रवेश की तारीख या विमान के आगमन से पहले प्रस्तुत किया गया है, तो यह निर्धारित किया गया है। तो प्रवेश का बिल ऐसे ग्राहकों की आवक या आगमन की तारीख पर, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।"

7. उपरोक्त प्रावधानाें के अवलोकन में इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है जाे कि शाह देवचंद एंड कंपनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में किया है के अनुसार मूल्यांकन माल के आयात के

समय किया जाना चाहिए, जो आयातक द्वारा प्रविष्टि के बिल की प्रस्तुत करने की तिथि है।

8. सीमा शुल्क आयुक्त, कोलकाता बनाम जे. के. निगम, 2007 (2)
स्केल 459 में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" सीमा शुल्क लगाने का मूल सिद्धांत, उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए यह है कि आयातित वस्तुओं का मूल्य आयात के समय और स्थान पर निर्धारित किया जाए। आयातित माल के लिए निर्धारित किया जाने वाला मूल्य बिक्री की शर्त के रूप में किया जाने वाला आवश्यक भुगतान होगा। सीमा शुल्क के निर्धारण का माल के मूल्य के साथ सीधा संबंध होना चाहिए जो आयात के समय देय था। यदि माल का आयात पूरा होने के बाद किसी राशि का भुगतान किया जाना है, तो अन्य बातों के साथ-साथ आयातित मशीनरी से संयंत्र स्थापित करने या उसे चलाने के उद्देश्य से लाइसेंस या तकनीकी जानकारी के हस्तांतरण के माध्यम से भी भुगतान किया जाना है ताे इसकी गणना उक्त उद्देश्य के लिए नहीं की जाएगी। इसलिए, आयात के बाद की सेवा या गतिविधि के लिए भुगतान की गई कोई भी राशि आयातित वस्तुओं के मूल्यांकन

योग्य मूल्य के निर्धारण के दायरे में नहीं आएगी ताकि अधिकारियों को सीमा शुल्क या अन्य लगाने सक्षम बनाया जा सके। अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से नियम बनाये गये हैं। धारा 14 और 14(1 ए) के शब्द स्पष्ट और सुस्पष्ट हैं। इसलिए, नियमों और अधिनियम की व्याख्या, व्याख्या के बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।"

9. इस प्रकार हमें अधिकरण के आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं। हालांकि, हम यह अपीलार्थी के लिए खुला छोड़ते हैं कि वह नुकसान के लिए मुकदमा दायर करे या कार के लिए मंजूरी देने में देरी के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ अन्य उपाय तलाशें।

के.एल.

याचिका खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी कमल लोहिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।